

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्था)

131, फेज-2, वसन्त विहार, देहरादून

फोन नं०- 0135-2762105, 2762098, फैक्स-2769851

विज्ञापन संख्या- 08/2017

वाक-इन-इन्टरव्यू

केन्द्र में संचालित निम्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुबन्ध के आधार पर जूनियर रिसर्च फ़ैलो (जे. आर.एफ.) / जूनियर प्रोजेक्ट फ़ैलो (जे.पी.एफ.) तथा फील्ड असिस्टेंट की आवश्यकता है। इस हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो निम्नानुसार वर्णित योग्यता रखते हों, वे अपने आवेदन पत्र, जो निदेशक उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, देहरादून को सम्बोधित हों, के साथ अपने मूल अभिलेखों, अन्य प्रमाण पत्रों एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ दिनांक 07.12.2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे वाक-इन-इन्टरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फ़ैलो के लिये दोनों परियोजनाओं में आवेदन करना चाहता/चाहती है, तो वह दोनों परियोजनाओं के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करें:-

| क्र. सं. | पद/संख्या | परियोजना का नाम | योग्यता | नियत मानदेय |
|----------|--|--|--|--|
| 1- | *जूनियर रिसर्च फ़ैलो (जे. आर.एफ.) - 02 | इन्टीग्रेटेड स्टडीज ऑफ हिमालयन क्रायोस्फेयर यूजिंग स्पेस बेस्ड इनपुट्स (ISCH) परियोजना | अनिवार्य- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिमोट सेन्सिंग एण्ड जी.आई.एस. / जियोलॉजी / हाइड्रोलॉजी / ऐन्वायरनमेंट साइंस / कम्प्यूटर साइंस / जियोइन्फॉर्मेटिक्स में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको सहित एम.एस.सी. / एम.टेक. डिग्री तथा *NET/GATE क्वालिफिकेशन। अधिमानी- 1. आर.एस. और जी.आई.एस. में परास्नातक डिग्री / डिप्लोमा, आर.एस. / जी.आई.एस. में सॉफ्टवेयर स्किल्स रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। | रु० 25,000 / - + 20% की दर से मकान किराया भत्ता प्रतिमाह |
| 2- | *जूनियर रिसर्च फ़ैलो (जे. आर.एफ.) - 01 | ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी मैपिंग परियोजना (2017-18) | अनिवार्य- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रिमोट सेन्सिंग एण्ड जी.आई.एस. / जियोलॉजी / हाइड्रोलॉजी / ऐन्वायरनमेंट साइंस / कम्प्यूटर साइंस / जियोइन्फॉर्मेटिक्स और लाइफ साइंसेज में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको सहित एम.एस.सी. / एम.टेक. डिग्री तथा *NET/GATE क्वालिफिकेशन। अधिमानी- आर.एस. और जी.आई.एस. में परास्नातक डिग्री / डिप्लोमा, | रु० 25,000 / - + 20% की दर से मकान किराया भत्ता प्रतिमाह |

| | | | |
|----|---------------------|---|-----------------------------------|
| | | आर.एस./जी.आई.एस. में सॉफ्टवेयर स्किल्स रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। | |
| 3- | फील्ड असिस्टेंट -01 | अनिवार्य- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान। | रु0 12,000/- प्रतिमाह नियत धनराशि |

***नोट:-** NET/GATE क्वालिफाइड अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त पोजीशन्स को नॉन NET/GATE क्वालिफाइड अभ्यर्थियों में से जूनियर प्रोजेक्ट फ़ैलो (जे.पी.एफ.) के रूप में भरा जायेगा और ऐसे चयनित अभ्यर्थी को रु0 16000/- + 20% मकान किराया भत्ता प्रतिमाह की दर पर भुगतान किया जायेगा।

अन्य शर्तें-

1. आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त अस्थायी पद परियोजना अवधि हेतु अनुबन्ध के आधार पर हैं। वर्णित पोजीशन्स पर नियुक्ति प्रथमतः 06 माह की अवधि हेतु की जाएगी। परियोजना की आवश्यकता एवं मानवशक्ति के संतोषजनक कार्य के उपरान्त अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है। वर्णित परियोजना कर्मियों का मूल्यांकन निदेशक, यू-सैक द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा और कार्य संतोषजनक पाए जाने पर ही नियुक्ति अवधि केन्द्र निदेशक के अनुमोदन से बढ़ायी जाएगी। कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर केन्द्र को उनका अनुबन्ध कभी भी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। परियोजना की निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त उक्त पोजीशन्स स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
3. साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा।
4. जूनियर रिसर्च फ़ैलो की पोजीशन्स हेतु अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष और फील्ड असिस्टेंट की पोजीशन हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु में 05 वर्ष की और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु में 03 वर्ष की छूट उपलब्ध होगी।
5. चयनित अभ्यर्थी को परियोजना कार्य हेतु फील्ड-विजिट/टूर पर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। जिसमें फील्ड-विजिट अत्यधिक है, जिस हेतु उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
6. उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत आबद्धित किसी अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में किसी पद पर संविलियन/नियमतीकरण की कोई सम्भावना नहीं है।
7. रिक्ति को न भरने का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित हैं।
8. समस्त प्रकरणों पर निदेशक, यू-सैक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, यू-सैक